



Dr. Suman Khandelwal
DEAN

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर)

नौगावां, अलवर-301025 (राजस्थान)

ई-मेल: dean.coanavgaon@sknau.ac.in

मोबाईल नं.: 9414774474

क्रमांक: एफ. (भंडार) / कृ.महा.नौगावां / 2026-27 / 565

दिनांक: 08.10.2026

कोटेशन आमंत्रण सूचना

कृषि महाविद्यालय, नौगावां पर वर्ष 2026-27 के दौरान उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार के पेस्टीसाइड्स खरीद हेतु दर निर्धारण के लिए लाइसेंसधारी विक्रेताओं से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक: 16.10.2026 को प्रातः 11:30 बजे तक सीलबन्द कोटेशन आमन्त्रित किये जाते हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्तें कार्यालय दिवस में दिनांक: 16.10.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा www.sknau.ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कोटेशन दिनांक: 16.10.2026 को दोपहर 12.30 बजे केन्द्र की निविदा एवं क्रय समिति द्वारा खोले जायेंगे। कार्य की अनुमानित लागत 4,0000/- रुपये है। सम्पूर्ण निविदा अथवा उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।


अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

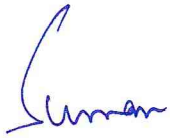
1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. समस्त निविदा समिति सदस्य कृषि महाविद्यालय, नौगावां, अलवर।
4. नोटिस बोर्ड पंचायत समिति/तहसील कार्यालय/ग्राम पंचायत नौगावां, बीजवा एवं मोहम्मदपुर।
5. निविदा/रक्षित पत्रावली।


अधिष्ठाता

निविदा की शर्तें:-

1.	कोटेशन निर्धारित प्रपत्र में बंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी प्रकार की कांटछांट होने पर कोटेशन स्वीकार नहीं होगी। प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
2.	कोटेशन के साथ जी.एस.टी. एवं पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
3.	उपलब्ध करवायी जाने वाली सामग्री अच्छी गुणवत्ता एवं प्रतिष्ठित ब्रांड की होनी चाहिए।
4.	इच्छुक आपूर्तिकर्ता/फर्म केन्द्र कार्यालय में आकर इस कोटेशन आमंत्रण सूचना के सम्बंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
5.	अनुमोदित दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मान्य होगी।
6.	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में उल्लेखित नियम - 60 एवं वित्त विभाग राजस्थान की अधिसूचना दिनांक: 19.11.15 की शर्त निविदा का भाग मानी जायेगी।
7.	किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
8.	आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 07 दिनों में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
9.	आपूर्ति की गयी सामग्री को केन्द्र की समिति द्वारा निरीक्षण उपरांत संतोशप्रद होने पर ही स्वीकार किया जायेगा।
10.	सामग्री आपूर्ति के उपरांत बिल केन्द्र कार्यालय में जमा कराना होगा जिसका भुगतान कोष कार्यालय से बिल पास होने के उपरांत किया जायेगा।
11.	सम्पूर्ण निविदा अथवा उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

मैंने उपरोक्त सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है तथा मैं उपरोक्त शर्तों के अधीन आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सहमत हूँ।



हस्ताक्षर निविदादाता/आपूर्तिकर्ताओं

फर्म का नाम:

पता:

मो०नं०:

कृषि महाविद्यालय, नौगावां
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
दर प्रपत्र

क्र.सं.	पेस्टीसाइड का नाम	पैकिंग साइज	दर सभी करों सहित (रु)
1.	Imidacloprid 600 FS		
2.	Imidacloprid 17.8% SC		
3.	Fipronil 5% SC		
4.	Fipronil 0.3% GR		
5.	Fipronil 0.6% GR		
6.	Chloropyrifos 50% EC+Cypermethrin 5% EC		
07.	Profenophos 50% EC		
08.	Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP		
09.	Carbendazim 50% WP		
10.	Tebuconazole 25% WG		
11.	Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP		
12.	Copper Oxychloride 50% WP		
13.	Streptocycline		
14.	Glyphosate 41% SL		
15.	Glyphosate 71% SG		

नोट: आपूर्तिकर्ता/फर्म अपने जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर निविदादाता/आपूर्तिकर्ताओं

फर्म का नाम:

पता:

मो०नं०:

